संख्या- 10/2023/284/78-2-2023-112आई.टी./2016

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च,2023

विषय: सहकारिता विभाग की शासकीय सेवाएं अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति से आम-जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु आईटी पूल फण्ड से गत वित्तीय 2021-22 वर्ष में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि सहकारिता विभाग की शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति के माध्यम से आम-जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव लागत रू0-97,27,860.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0-48,63,930.00 की शासनादेश संख्या-25/2021/1615(1) 78-2-2021-112आईटी 2016 दिनांक 20-12-2021 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में आईटी पूल फण्ड से 10 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0-4,86,393.00 अवमुक्त की गयी थी।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या- यूपीएलसी:साफ्टवेयर:3108: 2022-23:806-।।:9695 दिनांक 13-03-2023 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत लागत के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त् किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग में शासकीय सेवाएं अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति के माध्यम से आम-जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20-12-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू0- 48,63,930.00 के सापेक्ष आईटी पूल फण्ड की गाइड लाइन में निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0- 14,59,179.00 (रू0- चौदह लाख उन्सठ हजार एक सौ उन्यासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 तथा अन्य संगत शासनोदशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक,उद्योग,लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-14,59,179.00 का आहरण कर, उसका व्यय सहकारिता विभाग/ उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 हेतु साफ्टवेयर विकास के लिए उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।

(6) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद/ कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।

(8) सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत की 50 प्रतिशत की धनराशि ही आईटी पूल फण्ड से स्वीकृत की जायेगी शेष धनराशि का वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने स्रोतों /बजट से किया जायेगा।

(9) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(10)यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में प्रशासकीय विभाग को प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी ,लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स,लखनऊ ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वी0पी0 नागेश
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।